



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
 (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
 (Wholly owned by Government of India)

सीएचओ(एचआर) / प्रशा. / 16 / 8 / 2012 / 3687

दिनांक 01.08.2012

परिपत्र

विषय: गृह निर्माण अग्रिम के अंतर्गत बंधक सम्पत्ति का बीमा।

गृह निर्माण अग्रिम के संबंध में एक शिकायत की जाँच के दौरान सतर्कता विभाग ने पाया कि बंधक सम्पत्ति रखनेवाले के द्वारा बंधक सम्पत्ति का अग्नि, बाढ़ एवं बिजली से होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी भी बीमा कम्पनी जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, इत्यादि से बीमा नहीं कराया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने इस चूक को गंभीरता पूर्वक लिया है।

2. गृह निर्माण अग्रिम का कार्य देखने वाले सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बंधक सम्पत्ति का अग्नि, बाढ़ एवं बिजली से होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी भी बीमा कम्पनी जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, इत्यादि से बीमा कराया गया है।

3. गृह निर्माण अग्रिम का कार्य देखने वाले सभी संबंधित इन निर्देशों का ध्यान रखें तथा इनका कड़ाई से अनुसरण करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बिजे गुप्ता
(बीजेओ गुप्ता)
 उप-महाप्रबन्धक (औ.सं.)

मुख्य महाप्रबंधक / सभी महाप्रबंधक
 टकसाल / मुद्रणालय / कागज कारखाना

भा.प्र.मु.नि.नि.लि.
प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के विशेष कर्तव्य अधिकारी।
2. निदेशक (तकनीकी) / निदेशक (मा.सं.) / मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रभारी)।
3. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) / सभी उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।
4. उप-महाप्रबन्धक (कार्मिक) निगम मुख्यालय।
5. सूचना पटल।

